संख्या-5/2015/144/अड़तीस-5-15-77सम/2005 टी0सी0-।

पे्रषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 27 फरवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सापेक्ष सेन्टेज की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या-70/डब्लू-409/2015, दिनांक 02 फरवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष अवशेष सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 47,87,72,000/- (रूपये सैतालीस करोड़ सतासी लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

i. स्वीकृत की जा रही धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम एकाउन्ट में जमा किया जायेगा।
ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत एस0सी0पी0 मद में उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य सेन्टेज के रूप में एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 की गाइड लाइन के अनुरूप किया जायगा।
iii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग उन्हीं कार्यो / मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर स्वीकृत धनराशि का व्यय / उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

2- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-जलपूर्ति -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं -01-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (के.50/ रा.50-के. +रा.)-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-144(1)/अडतीस-5-15, तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0।
2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
7. वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-3/ ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

shasanadesh.up.nic.in